BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 27th May, 2015 | No. 10

बिहार में 36 नए उद्योग लगाने को मिली मंजूरी

आने वाले दिनों में राज्य में लगभग 500 करोड़ का होगा निवेश

बिहार में 36 नए उद्योग लगाने के प्रस्ताव को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने मंजूरी दे दी। इन उद्योगों पर लगभग 500 करोड़ का निवेश होगा। दिनांक 18.05.2015 को विकास आयुक्त एसके नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

बैठक में 157 प्रस्ताव आए थे, जिसमें मात्र 72 पर ही विचार हुआ। समीक्षा के बाद 36 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। बाकी प्रस्तावों के लंबित होने का मूल कारण जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं कराना रहा। लंबित प्रस्तावों में अधिकतर निवेशक खरीदी गई जमीन का एग्रीमेंट पेपर नही दिखा सके। लंबित 36 प्रस्ताव या विचार नहीं होने वाले 85 प्रस्तावों की मंजूरी के लिए जून के दूसरे सप्ताह में एसआईपीबी की अगली बैठक होने की संभावना है। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण, नगर विकास के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, बियाडा की एम. डी. अंशुली आर्या, पशुपालन सचिव नर्मदेश्वर लाल, उद्योग विभाग के निदेशक (तकनीकी) रवीन्द्र प्रसाद, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओपी साह, बीआईए की ओर से संजय गोयनका सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उद्योग की मौजूदा स्थिति : 1 अप्रैल 2006 के बाद एक करोड़ से अधिक लागत वाले उद्योग लगाने के लिए एसआईपीबी का गठन हुआ। एसआईपीबी से मंजूर राज्य में 289 उद्योग चल रहे हैं। इसमें 7550 करोड़ का निवेश हुआ है। 175 उद्योगों की प्रगति विभिन्न चरणों में है, जो निकट भविष्य में चालू होंगे।

उद्यमी अदालत लगी : उद्योग विभाग में सोमवार को उद्यमी अदालत का आयोजन किया गया। विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण के समक्ष अदालत में कुल नौ मामले आए। इसमें चार का निबटारा हुआ। निष्पादित मामलों में किशनगंज की चाय कांपनी के लंबित अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

होंगे अहम निवेश : तिरुपति शुगर मिल द्वारा बगहा में छह से 10 मेगावाट बिजली उत्पादन पर 65 करोड़ का निवेश, इंडस फॉर्म्स फूड कंपनी, गाजियाबाद द्वारा मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर अररिया में 62 करोड़ का निवेश, मास एग्रो फूड कानपुर द्वारा किशनगंज में मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर 60 करोड़ का निवेश, ओम ईश एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धनरुआ में राइस मिल पर 30 करोड़ का निवेश।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.5.2015)

निवेशकों को लुभाने में जुट गई बिहार सरकार

बिहार सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए अब निवेश प्रस्तावों को अफसरशाही के चंगुल से मुक्त करने की ठानी है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों को एक तय समय-सीमा के भीतर मंजूरी देने के साथ-साथ पूंजीगत अनुदान 3 दिनों के भीतर जारी करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया, 'राज्य सरकार बिहार के औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है, जिसमें छोटे और लघु उद्योगों पर खास ध्यान है। इसके तहत हम शुरुआत से लेकर आखिर तक निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्त रखने का फैसला लिया है।' उन्होंने कहा कि सरकार नई सिंगल विंडो (एकल खिड़की) व्यवस्था लागू करने में लगी है। इसके तहत प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजने की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से पूरी की जाएगी।

राज्य सरकार ने निवेश सब्सिडी को जारी करने के लिए भी 3 कार्यकारी दिनों की समय-सीमा का प्रस्ताव रखा है। मंत्री ने कहा,- 'राज्य में निवेश गतिविधि में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट अनुदानों को जारी करने में होने वाली बेवजह की देरी है। इसे भी हम समयबद्ध ढंग से लागू करेंगे। इसके लिए हम इस वक्त 72 घंटे की समय-सीमा पर विचार कर रहे हैं। मतलब अगर कोई उद्यमी अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो इससे संबंधित सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी करके उसका अनुदान जारी कर दिया जाएगा।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.5.2015)

केंद्र की उदासीनता से कुटीर उद्योग प्रभावित : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण बिहार में कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मार्जिन मनी की राशि नहीं मिलने के कारण कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराने को लेकर बिहार सरकार सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखेगी।

मंत्री ने शिक्षित बेरोजगारों की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। बैठक में वितीय वर्ष 2014-15 में आवंटित लक्ष्य 7648 पर 110. 73 करोड़ पर विशेष चर्चा हुई। समीक्षा में पाया गया कि 13616 आवेदनों में से मात्र 3077 आवेदकों को ही बैकों ने कर्ज दिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने बीते वर्ष की तुलना में भौतिक लक्ष्य में 44 फीसदी व मार्जिन मनी लक्ष्य में 18 प्रतिशत की कटौती कर युवाओं को धोखा दिया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.5.2015)

उद्योग नहीं लगाने वाली कंपनियाँ सूची से बाहर होंगी

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) से मंजूर होने के पाँच-सात साल बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाली कंपनियों को सरकार अपनी सूची से हटाएगी। उद्योग विभाग में इसकी समीक्षा चल रही है। सूची से हटाने के पहले उद्यमियों को पत्र भेजा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी।

(हिन्दुस्तान, 15.5.2015)

जुलाई, 2011 से शुरू हुए होटलों को विलासिता कर में मिलेगी छूट

राज्य के होटलों में ठहरनेवालों के लिए खुशखबरी। अब उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के तहत विलासिता कर में छूट मिलेगी। इसका लाभ तभी मिलेगा, अगर उक्त होटल एक जुलाई, 2011 से 30 जून, 2016 के बीच शुरू किया गया हो। वाणिज्यकर विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जिन होटल कारोबारियों ने इस दौरान विलासिता कर की वसूली कर ली है, उन्हें वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करनी होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.5.2015)

सोलर कंपनियों को देनी होगी सस्ती बिजली

तय समय में यूनिट तैयार नहीं करने वाली सोलर कंपनियों को अब सस्ती बिजली देनी होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने छह सोलर कंपनियों की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कंट्रोल पीरियड बढ़ाते हुए पुरानी दर से बिजली देने की मांग की गई थी।

बिहार सरकार ने 2012-13 में 38 मेगावाट सोलर बिजली के लिए कंपनियों से पावर परचेज एग्रीमेंट (करार) किया था। कंपनियों को अधिकतम दो-ढाई साल में यूनिट तैयार करना था। करार वाले वर्ष में विनियामक आयोग ने यूनिट बनने की लागत के अनुसार 10.39 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिक्री दर तय की थी। करार के

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

मैं इस कॉलम के माध्यम से आप लोगों से निरंतर संपर्क में रहने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ।

पिछले दिनों हमारे निकटतम् पड़ोसी देश नेपाल पर आई भीषण प्राकृतिक विपदा से आप सभी अवगत हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्वतः शुरू की गई कारवाई (ऑपरेशन मैत्री) के लिए उन्हें आप सभी सदस्यों की ओर से साधुवाद देता हूँ एवं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कुछ ही घंटों में त्वरित निर्णय लिया और सहायता कार्य प्रारंभ कराया जिससे देश की छवि पूरे विश्व में प्रखर हुई।

साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी तत्काल निर्णय लिया और बिहार से राहत सामग्री निरंतर नेपाल भेजी जाने लगी।

चैम्बर ने भी आप सबकी ओर से राहत भेजने में विलम्ब नहीं करते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को ही कतिपय राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रवाना किया। इस कार्य में कई सदस्यों ने अपना सहयोग किया उन्हें भी साधुवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ।

चैम्बर ने पूर्व में भी इस प्रकार की विपदा की घड़ी में यथासंभव राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है और भविष्य में भी हम सदैव मानवता की सेवार्थ आपके सहयोग से तत्पर रहेंगे।

माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि नेपाल त्रासदी में पीड़ित लोगों की सेवार्थ आप भी सहयोग करें। आप स्वयं चाहें तो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे सकते हैं या चैम्बर के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री को चेक भेज सकते हैं।

चैम्बर के हित में यदि आप कुछ सुझाव दे सकें तो मैं अनुगृहित होउँगा।

आपका

ओ. पी. साह

अनुसार मार्च 2015 तक यूनिट तैयार हो जाना था जिसमें कंपनियाँ विफल रहीं। यूनिट तैयार न होने पर इन कंपनियों ने बिजली कंपनी से कंट्रोल पीरियड बढ़ाने का अनुरोध किया। मंजूरी न मिलने पर आयोग के समक्ष याचिका दायर की। आयोग ने इस मामले में सुनवाई की और आदेश दिया कि पूर्व के वर्षों की तुलना में अब सोलर यूनिट तैयार होने में कभी आई है।

ये हैं कंपनियां : हिन्दुस्तान क्लीन एनर्जी लिमिटेड, सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड, एलेक्स ग्रीन प्रोजेक्ट लिमिटेड, अवंतिका काट्रैक्टर्स, रिस्पॉस रिन्यूअबल इनजी लिमिटेड, ग्लैट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।

"तय समय सीमा में यूनिट तैयार नहीं होने पर पुरानी दर पर बिजली बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने निर्णय सुना दिया है।"

– यू. एन. पंजियार, अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियमक आयोग

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.5.2015)

डगमारा परियोजना की वित्तीय बाधा दूर

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से मंजूरी मिलने में हुई आसानी

सुपौल के डगमारा पनबिजली पनबिजली परियोजना बनने में वित्तीय समस्या दूर हो गई। कोसी बांध पर बन रही ढाई हजार करोड़ से अधिक की इस परियोजना पर जल संसाधन विभाग 710 करोड़ खर्च करेगा। शनिवार को ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में कई विभागों के सचिवों की बैठक में इस पर सहमति बनी। परियोजना पूरी होने पर बिहार को 130 मेगावाट बिजली मिलेगी। **(हिन्दुस्तान, 17.5.2015)**

Coming Nitish's 1st interface with industry in 18 months

If all goes well, Bihar's entrepreneurs may soon have the opportunity of flagging their collective concerns and seeking resolution of bottle-necks impeding the flow of investments straight at the Chief Minister's level.

For, CM Nitish Kumar is likely to have an interface with prospective investors, probably for the last time ahead of the imposition of model code of conduct preceding the state assembly poll, at the udyami panchayat (investors meet) on June 29. **(Details : H. T. 15.5.2015)**

Hope of power from Jharkhand plant

The re-bidding process for a 3,960MW ultra mega power project at Tilaiya has revived the hope of Bihar getting 500MW from the Jharkhand plant.

The Jharkhand government has initiated the process of re-bidding of the project after Anil Ambani-led Reliance Power pulled out of it because of "delay in land acquisition" for the project.

Bihar was also allotted 500 MW from the project when Reliance has won the contract in August 2009 to set up an ultra mega power project at Tilaiya in Hazaribagh.

" Since this is a central project, which would be re-bid to start the project, we have a natural right on our claim. Bihar would stake its claim over 500MW. And it will get the power from the central allocation,' Energy Minister Bijendra Prasad Yadav said.

He added that the NTPC is likely to take up the Job of constructing the project from which Bihar would benefit too.

In its quest for achieving future energy security, the state government has already demanded from the Centre to allocat 1,500MW and 250MW from Punatsangchu and Mangdechu Hydel Projec of Bhutan and Aruna III Hydel Project in Nepal, respectively.

(Details : The Telegraph, 14.5.2015)

इस साल चालू हो जाएगा बरौनी का बंद बिजलीघर

खर्च 3707 करोड़, क्षमता 250 मेगावाट

इसके पहले कांटी बिजलीघर की दो यूनिट के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के बाद वहां से 220 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। बिजली घर की यूनिट एक का काम एक नवम्बर, 2013 और यूनिट 2 का काम 15 नवम्बर, 2014 को पूरा हुआ। इसपर 471करोड़ रुपए खर्च हुए। दोनों बिजलीधरों के विस्तार का काम भी चल रहा है। कांटी में 195 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट बननी है, जबकि बरौनी में 250 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट। कांटी के लिए केन्द्र सरकार ने 3344.68 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जबकि बरौनी के लिए 3707 करोड।

क्या अंतर आएगा : बरौनी बिजलीघर चालू होने के बाद बिहार की दोनों बंद पड़ी बिजलीघर शुरु हो जाएगी। राज्य का अपना उत्पादन 440 मेगावाट हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार की कम से कम आधा दर्जन जिलों का संकट दूर हो जाएगा।

(विस्तृतः दैनिक भास्कर, 11.5.2015)

सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी निर्बाध बिजली

5600 करोड़ की डीपीआर विद्युत कम्पनी ने केन्द्र सरकार को सौंपी

बिहार के किसानों को अब सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली मिलेगी। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किसानों को निर्बाध बिजली देने के लिए पावर सब स्टेशन व फीडर का निर्माण किया जाएगा, जो किसानों के खेतों से होकर गुजरेगी। सरकारी नलकूपों के अलावा निजी नलकूप लगाकर किसान बिजली कंपनी से कनेक्शन लेकर अपने खेतों का सिंचाई आसानी से कर सकेंगे। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.5.2015)**

नीति बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यबल

भारी उद्योग मंत्रालय ने कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिलकर 'संयुक्त कार्यबल' का गठन किया है। इसका उद्देश्य एक समग्र राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति तैयार करना है, जिससे इस क्षेत्र की क्षमता का आकलन प्रधानमंत्री की प्रिय मेक इन इंडिया के लिए किया जा सके। कार्यबल ऐसे मसलों पर विचार करेगा, जिनसे यह उद्योग जूझ रहा है। इसमें टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन टूल्स, बिजली संयंत्र, प्लास्टिक मशीनरी, निर्माण उपकरण, प्रसंस्करण संयंत्र के उपकरण और डाई, माउल्ड्स और प्रेस टूल्स शामिल हैं।

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का शुरुआती खाका अगले कुछ महीने में मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आधार पत्र के आधार पर तैयार किया जाएगा। भारतीय पूंजीगत वस्तु

क्षेत्र के लिए इस पत्र में प्रमुख रणनीतिक स्तंभ दिए गए हैं। ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन, बाजार का विस्तार, निर्यात को प्रोत्याहन, मानव संसाधनों का विकास, आईपीआर और तकनीक में सुधार, मानकों, एसएमई पर ध्यान और आवश्यक सपोर्ट सेवाएं तैयार करना आदि शामिल हैं। (बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.5.2015)

औद्योगिक गलियारे की बढ़ेगी गति

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए) को आकार देने में लगी है। इसका मकसद आर्थिक गलियारों के भारी भरकम काम को गति देना और वित्तपोषण का प्रबंध करना है। इसके बारे में एक प्रस्ताव इस माह के आखिर तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारों की परिकल्पना की है जिसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), बेंगलूरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी), चेन्नई-बेंगलूरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी), विशाखापत्तनम- चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) और अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) शामिल है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया – 'ये गलियारे जिन राज्यों से होकर गुजरेंगी, उन राज्यों की सरकारें हमसे जानना चाह रही हैं कि विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीपी) के तहत शर्तें साफ की जाएं, जो जल्द ही होने जा रहा है।' अधिकारी ने कहा कि यह खर्चीली परियोजना है इसलिए सरकार ने इस गलियारे के लिए यथासंभव ज्यादा धन रखा है। फंडिंग को छोड़ दें तो डीएमआईसी पर एनआईसीडीए का नियंत्रण नहीं होगा।

डीएमआईसी 6 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजराज और महाराष्ट्र शामिल हैं। बीएमईसी कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी, जबकि सीबीआईसी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। वहीं वीसीआईसी में सिर्फ आंध्र प्रदेश व तमिलानाडु शामिल होंगे। आखिर में एके आईसी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। (विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.5.2015)

बिजली चोरी के फर्जी केस में डेढ़ लाख का मुआवजा

अतिरिक्त राशि लेकर बिजली कनेक्शन देने व बिजली चोरी के फर्जी केस में राज्य मानवाधिकार आयोग ने तीन उपभोक्ताओं को डेढ़ लाख के मुआवजे का आदेश दिया है। साथ ही बिजली इंजीनियर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई आयोग के सदस्य नीलमणि ने की। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.5.2015)

दो हजार तक के कार्ड ट्रांजेक्शन पर पिन जरूरी नहीं: आरबीआई

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2,000 रुपये तक के कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए पिन की जरूरत समाप्त कर दी है।

केन्द्रीय बैंक ने 14.05.2015 को जारी अधिसूचना में कहा कि कॉन्टेक्टलेस कार्ड पर कार्ड की मौजूदगी के किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर पिन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, हालांकि यदि ग्राहक चाहें तो उनके पास पिन के साथ ट्रांजेक्शन का विकल्प भी होगा। हर बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने ग्राहकों को दो हजार रुपये की केन्द्रीय बैंक द्वारा तय अधिकतम सीमा को कम करने का विकल्प उपलब्ध करा सकता है।

आरबीआई ने एक अन्य अधिसूचना के जरिये सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इस साल 1 सितम्बर से सिर्फ चिप आधारित ईएमवी कार्ड ही जारी कर सकेंगे। एटीएम ट्रांजेक्शन और कार्ड की अनुपस्थिति में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन जैसे इंटरनेट बैंकिग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के लिए पिन या वन टाइम पासवर्ड या अन्य पासवर्ड जरूरी होगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 15.5.2015)

पैसा जमा-निकासी से कर रहे इनकार

बैंकों की मनमानी से लोग हैं परेशान, नहीं होती जल्द सुनवाई

बैंकों के रवैये से आम आदमी परेशान है। एक तरफ बैंकों ने एटीएम से बार-बार पैसा निकालने पर चार्ज लगा दिया है। एटीएम से लेकर कैश डिपोजिट मशीन ठीक से काम नहीं करती है। जब बैंक में पैसा निकालने जाइए, तो बैंक कर्मचारी सुनते नहीं। वे ग्राहकों से कहते हैं कि एटीएम से पैसा निकाल लीजिए, तब ग्राहकों को लगता है कि बैंक खाता खुलवा कर क्या गुनाह कर दिया। इतना ही नहीं बैंक कर्मचारी बैंक शाखा में पैसा जमा करने से भी इनकार करते है। कमचारियों का कहना है कि मशीन से ही जमा कर लीजिए। यह भी सुनते नहीं है कि कैश डिपोजिट मशीन खराब है या ठीक है। काफी विवाद के बाद पैसा जमा करने को तैयार होते हैं। कई बार नोट ठीक होने के बाद भी उसे मशीन एक्सेप्ट नहीं करता है। इससे पैसा जमा नहीं हो पाता है।

शिकायत पुस्तिका मांगें : बैंक अगर आपकी बात नहीं सुनता है, तो परेशान न हों। शाखा प्रबंधक से शिकायत पुस्तिका मांग अपनी शिकायत लिखें। अगर फिर बैंक शाखा शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराती है, तो शिकायत रजिस्टर्ड डाक से बैंक शाखा को भेजें। एक महीने में कोई जवाब नहीं मिलने या जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आप अपनी शिकायत गांधी मैदान स्थित आरबीआइ कार्यालय स्थित बैंकिंग लोकपाल से कागजात के साथ करें।

ग्राहकों की परेशानी : • एटीएम या कैश डिपोजिट मशीन में काम हो जाये, तो बैंक शाखा क्यों जाएं, शाखा में काफी भीड़ रहती है। • बैंक शाखा में जाने पर काम नहीं होता। मशीन खराब रहती है, तो क्या करें।

'कोई भी बैंक पैसा जमा या निकासी से इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक ऐसा करता है, तो संबंधित बैंक में शिकायत करें। उन पर कार्रवाई होगी। लोग एटीएम के साथ बैंक शाखा का भी उपयोग कर सकते हैं।'

मनोज कुमार वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड), आरबीआइ

(साभार: प्रभात खबर, 11.5.2015)

बैंक खाताधरियों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा का लाभ

पहली जून से शुरू होगी योजना

देश के सभी बैंक बचत खाताधारियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। वह भी न्यूनतम प्रीमियम राशि में। इसके लिए खाताधारियों को अतिरिक्त कागजात नहीं देने होंगे। केवल एक फॉर्म भरकर संबंधित बैंक शाखा में जमा करना पड़ेगा। दोनों योजनाएं पहली जून से शुरू हो रही हैं जो अगले साल 31 मई तक रहेगी।

12 रुपए में सुरक्षा व 330 में जीवन बीमा की प्रीमियम राशि : साल पूरा होने पर रिनिवल कराना होगा। इसके लिए सभी बैंकों को सूचना भेज दी गई है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना भी शुरू होने जा रही है। इसमें कम से कम निवेश पर बुढ़ापे में अधिक लाभ मिलेगा।

फॉर्म में भरना होगा : खाताधारक का नाम-पता, बचत खाता संख्या, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, नामित का नाम-पता, जन्म तिथि (केवाईसी के अनुसार) एवं आधार संख्या (यदि हो)।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : • वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा • समस्त बचत बैंक खाताधारियों के लिए जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है • वार्षिक नवीकरण तिथि पर 55 वर्ष की आयु होने पर भी लाभ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : • वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए में 2 लाख का दुर्घटना बीमा • समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष • बीमा में दुर्घटना जनित स्थायी विकलांगता भी शामिल।

नोट : प्रीमियम की राशि खाताधारकों के बचत खाते से बैंक द्वारा ऑटो डेविट सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा। विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001801111

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.5.2015)

उत्पाद शुल्क में कमी की मांग

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर एक बार फिर उग्र हो गए हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर सरकार पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी नहीं करती है तो ट्रांसपोर्टरों को बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा।

बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पूर्व में पेट्रोल-डीजल की कीमत घटने से टैक्स में हुई भारी कमी को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर दी थी। अब जब पेट्रोल-डीजल की कीमत फिर बढ़ने लगी है ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को पुन: उत्पाद शुल्क कम कर देना चाहिए। (साभार : हिन्दुस्तान, 18.5.2015)

देसी कागज पर ही छापे जाएंगे भारतीय नोट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद अब आयातित कागजों के बदले देसी कागज पर ही नोटों की छपाई के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए विशेष कागज का उत्पादन इस साल के अंत तक शुरु होने की उम्मीद है।

श्री मोदी ने गत दो अप्रैल को रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस के अवसर पर अपील की थी कि नोटों की छपाई के लिए विदेशों से आयातित कागज की जगह देश में ही बने कागज का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। वर्तमान में नोटों की छपाई के लिए कागज आयात किया जाता है जबकि इसमें इस्तेमाल होते वाली स्याही देश में ही बनती है।

नोटों के लिए कागज का आयात

वर्ष	रकम
2013-14	₹ 1688.21 करोड़
2012-13	₹ 1332.84 करोड़
2011-12	₹ 1090.36 करोड़

फिर आ रहा है एक रुपए का नोट : प्रचलन से तेजी से गायब होते एक रुपए के नोट एक बार फिर आसानी से उपलब्ध होंगे क्योंकि सरकार ने हर साल 15 करोड़ एक रुपए के नोट छापने का फैसला किया है। सरकार ने 20 साल बाद एक रुपए के नोटों की छपाई के लिए पिछले साल दिसम्बर में गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जो इस साल एक जनवरी से लागू हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार हर साल 15 करोड़ नोटों की छपाई की जाएगी ताकि लोगों के बटुए में इनकी उपस्थिति एक बार फिर से आम हो सके। उल्लेखनीय है कि इनकी छपाई का खर्च इनके मूल्य से ज्यादा होने के कारण 1994 में सरकार ने इन नोटों की छपाई बंद कर दी थी। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.5.2015)**

राज्य के 30 डाकघरों में कोर बैंकिग शुरु

अगले छह महीने में बिहार के सभी डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) सेवा शुरू हो जाएगी। नौ हजार से अधिक डाकघरों में इस सेवा के शुरू होने पर लोगों को पैसों के लेन-देन में सुविधा होगी। 16 मई 2015 को पटना जीपीओ सहित बिहार के 30 प्रमुख डाकधरों में सीबीएस सेवा का उद्‌घाटन करते हुए केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह घोषणा की।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.5.2015)

10 हजार से ज्यादा की ऑनलाइन बुकिंग बंद

बिहार में ऑनलाइन कुरियर कंपनियों ने 10 हजार से अधिक के सामान की बुकिंग बंद कर दी है। ऑनलाइन बुकिंग करते समय ज्यों ही बिहार का पिन कोड डाला जाता है, कंपनी का मैसेज आ जाता है कि बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दरअसल, वाणिज्य कर विभाग के नियम के अनुसार 10 हजार से अधिक का समान मंगवाने से पहले ग्राहक को रोड परमिट (सी-10) लेना होगा। ऐसे में उपभोक्ता को झारखंड या उत्तरप्रदेश के पते पर सामान मंगवाना होगा।

इधर, कंपनियों का कहना है कि नए नियम के तहत बिहार में कैसे काम दोगा, इस संबंध में कंपनी की गाइडलाइन नहीं आई है। गाइडलाडन आने के बाद ही काम होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.5.2015)**

सही पैन नंबर नहीं तो नया वैट रजिस्ट्रेशन में होगी परेशानी

पैन नंबर में दी गई जानकारी और वैट पंजीयन में दी गई जानकारी में अंतर हुआ तो कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। वाणिज्य कर विभाग ने कारोबारियों के पैन का सत्यापन एनएसडीएल से करवाना शुरू कर दिया है। इसका असर अगले तिमाही के रिटर्न दाखिल करने के दौरान दिखाई देने लगेगा।

जिन व्यापारियों की जानकारी में अंतर होगा उनका रिटर्न ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकेगा। विभाग ने नए वैट पंजीयन आवेदन के साथ दिए गए पैन नंबर का पहले सत्यापन करवा कर ही वैट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। जीएसटी में वैट की अनिवार्यता को देखते हुए भी पैन सत्यापन जरूरी हो गया है।

पंजीकृत सभी कारोबारियों को सही पैन नंबर और नाम देने का आग्रह विभाग पिछले कई महीनों से कर रहा है। विभाग ने पंजीयन के समय व्यापारियों द्वारा दिए गए नाम और पैन नंबर का डाटा तैयार कर एनएसडीएल को भेजा है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजेटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) डाटा का मिलान पैन में दिए गए डाटा से कर रहा है। जिन व्यापारियों के वैट पंजीयन में दी गई जानकारी और पैन के लिए दी गई जानकारी में अंतर होगा, उन्हें आने वाले दिनों में पेरशानी होगी।

विभाग ने धीरे-धीरे शुरू कर दी जीएसटी की तैयारी : सूत्रों का कहना है कि विभाग ने धीरे-धीरे जीएसटी की तैयारी शुरू कर दी है। जीएसटी टिन का नंबर 15अंकों को होगा, जिसमें 10 अंक पैन नंबर ही होगा। शेष को दो अंक स्टेट कोड और तीन अंक जीएसटी यूनिक नंबर होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर राज्य के सभी व्यापारी अपना पैन नंबर विभाग की साइट पर ठीक नहीं करवा लिए तो जीएसटी टिन नंबर जेनरेट ही नहीं होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.5.2015)**

टैक्स न देने वाले व्यापारियों पर गाज

सूबे के दो लाख व्यापारियों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। इनमें वैसे व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन न टैक्स देते हैं, न ही रिटर्न फाइल करते हैं। वैसे व्यापारियों पर भी कार्रवाई होगी, जो पहले टैक्स देते थे, लेकिन अब टैक्स देना बंद कर दिया है। ऐसे सभी व्यापारियों को पहले नोटिस भेजी जाएगी।

यदि व्यापारी नोटिस पर निर्धारित समय सीमा के अनुसार सूचना नहीं देते हैं कि किस कारण से टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार राज्य में 2.5 लाख से अधिक व्यापारी विभाग से निबंधित हैं, लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है मात्र 60 हजार व्यापारी ही नियमित टैक्स दे रहे हैं। यदि व्यापारी ने 12 माह से कोई कारोबार नहीं किया है तो घबराए नहीं। वे जल्द संबंधित अंचल में आकर शन्यू रिटर्न फाइल कर दें या अंचल प्रभारी से मिलकर इसकी सूचना दे दें।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.5.2015)

आसान इनकम टैक्स फॉर्म माह के अंत तक

वित्त मंत्रालय इस महीने के अंत तक सरल बनाए गए आयकर रिटर्न फॉर्म को ला सकता है। इसमें निष्क्रिय बैंक खातों के साथ उन खातों के खुलासे की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है जिनमें न्यूनतम राशि नहीं है। इसमें प्रत्येक विदेश यात्रा के ब्योरे को बताने की जरूरत में भी ढील दी जा सकती है। उद्योग और सांसदों की ओर से कठिन खुलासा मानदंडों का विरोध करने के बाद यह सरलीकृत फॉर्म पेश किया जा रहा है।

एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि संसद सत्र समाप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की आंतरिक बैठक होगी। इस पर विचार हो रहा है कि निष्क्रिय बैंक खातों का खुलासा करने की जरूरत है या नहीं। वजह यह है कि ज्यादातर मामलों में इसमें बहुत कम राशि होती है।

आइटीआर फॉर्म (आइटीआर-। और आइटीआर -2) के सरलीकरण पर अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.5.2015)

बेनामी संपत्ति पर भी बैंक कर सकेंगे दावा!

हाल में लोकसभा में पेश बेनामी संशोधन विधेयक पारित हुआ तो जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों या अन्य लेनदारों से रकम वसूलने में बैंकों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी बैंक उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकते हैं, जिन्हें रेहन रखा गया हो। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.5.2015)**

पटना जंक्शन पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे गंभीर नहीं

यात्री सुविधाओं के बडे-बड़े वादे लेकिन जमीनी हकीकत नदारद। बात पटना जंक्शन की हो रही है, जहां सुविधाएं बढ़ाने के लिए हर दिन डिविजन, जोन व मंत्रालय स्तर पर दावे किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। नई सुविधाओं से जंक्शन के रेलयात्री वंचित हैं। पहले से मौजूद सुविधाओं को बेहतर करने के बजाय तालाबंदी ही दिखती है।

वर्ष 2013-14 के बजट में हुई घोषणा के अनुसार पटना जंक्शन पर एक्जाक्यूटिव लाउंच बनाने का डीआरएम का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। पिछले साल रेल परिसर को वाई फाई सुविधा देने की बजटीय घोषणा भी अब तक फाइलों में दफन है। करबिगहिया में बने सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में उच्च स्तर की चिकित्सा व्यवस्था देने की बात कही गई थी। कैथ लैब स्थापित कर हृदय रोगियों के लिए एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर जैसी सुविधाएं देने व एम्स के डॉक्टर की तैनाती का दावा किया गया था। अब तक ये दावे हवा-हवाई ही रहे हैं।

सुरक्षा हाशिए पर : 82 सीसीटीवी कैमरों से रेल परिसर की निगहबानी व

सामान की जांच के लिए लगेज स्कैनर लगाने के समेकित सुरक्षा प्लान का अब तक अता- पता नहीं है। रिटायरिंग रूम भी पहले जर्जर हालत में था। अब चार महीने से बनकर तैयार रिटायरिंग रूम में ताला बंद है। जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले सिस्टम लगाने की बात कही गई थी। इस योजना पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। फूड प्लाजा भी अब तक बंद पड़ा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.5.2015)**

निजी हाथों में दिए जाएंगे वेटिंग रूम

रेलवे की ओर से स्टेशनों के रिटायरिंग रूम व वेटिंग रूम की बेहतर रखवाली के लिए इसे निजी हाथों में देने की योजना है। पहले चरण में दानापुर मंडल के राजेन्द्र नगर टर्मिनल व पटना जंक्शन के तमाम यात्री प्रतीक्षालयों एवं रिटायरिंग रूम को निजी हाथों में देने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड व पूर्व मध्य रेल को भेज दिया गया है। दानापुर मंडल की और से नई एजेंसी की तलाश जारी है। शीध्र ही निविदा निकाली जाएगी। **(दैनिक जागरण, 17.5.2015)**

पाँच प्लेटफार्मों पर कोच इंडिकेटर नहीं

पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 10 तक कोच इंडिकेटर नहीं लगे हैं। इससे ट्रेन खड़ी होने के बाद कोच खोजने के लिए यात्रियों में अफराफरी मच जाती है। इसकी वजह से कभी-कभी हादसे भी होते रहते हैं। वर्ष 2006 में प्लेटफॉर्म नंबर एक से पाँच तक कोच इंडिकेटर लगाए गए। उसके बाद कहा गया कि जल्द ही अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इंडिकेटर लग जाएंगे। लेकिन, इतने वर्षों बाद भी अब तक इन प्लेटफॉर्म पर इसकी सुविधा नहीं मिली है। हालांकि अफसर कहते हैं इस पर ध्यान दिया जा रहा है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.5.2015)**

रेलवे को 22 करोड़ की आमदनी : राजलक्ष्मी

माल ढुलाई के क्षेत्र में रेलवे को इस साल 22 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। यह कहना है रेलवे बोर्ड की वित्त आयुक्त राज लक्ष्मी रवि कुमार का। पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर हेड क्वार्टर में 16 जोन से आये वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। राज लक्ष्मी ने कहा कि रेलवे ने अपने 2014-15 के 91.8 प्रतिशत लक्ष्य को पार कर राजस्व में बढोतरी की है। **(साभार: प्रभात खबर, 16.5.2015)**

36 दिनों में रेल बजट की 39 घोषणाएं हुई लागू

रेल मंत्रालय ने 2015-16 रेल बजट की घोषणा के महज 36 दिनों के अंदर ही बजट में घोषित 39 वायदों को पूरा कर दिया है। यह वायदे यात्री सुविधा प्रणाली में सुधार से लेकर आधारभूत विकास से संबंधित है। बजट पेश करने के बाद ही रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड को बजटीय घोषणाओं को लागू करने के लिए ठोस प्रणाली बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु व रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने खुद इसकी मॉनीटरिंग की। कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा का कार्य रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और रेल मंडल के स्तर पर भी किया जा रहा है।

इ-समीक्षा सॉफ्टवेयर भी तैयार : घोषणाओं की प्रभावकारी और कारगर ऑनलाइन निगरानी को लेकर रेल मंत्रालय ने एक विशेष वेब आधारित सॉफ्टवेयर ई-समीक्षा' भी तैयार किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ही इस प्रकार के ऑन लाइन निगरानी प्रणाली उपलब्ध है।

लागू हुई प्रमुख धोषणाएं : • हाउस कीपिग के लिए नये विभाग का सृजन। यह अधिक एकीकृत और समन्वित तरीके से स्वच्छता के तरीके पर विचार करेगा • कचरा निपटान के लिए डिस्पोजिबल बैगों की शीर्ष परियोजना के रूप में मुंबई अमृतसर पंजाब मेल में शुरुआत • इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) में विनिर्मत किये जा रहे नये नन एसी कोचों में 01 मई, 2015 से डस्टबीन का प्रावधान • एनआइएफटी, दिल्ली को बेडरॉल इत्यादि की डिजाइनिंग के लिए लगाया गया • तीन नये मैकेनाइज्ड लांड्री कोचीबेली, मालदा टाउन और संतरागाछी में स्वच्छ लिनेन की आपूर्ति हेतु शुरु किया गया • यात्री हेल्पलाइन 138 का विस्तार करते हुए इसका मेडिकल इमरजेंसी, साफ-सफाई, खान-पान, कोच रख -रखाव, लिनेन आदि से संबंधित पूछताछ/ शिकायतों के लिए इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल • रेलवे संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक अनुप्रयोग और एक पोर्टल विकसित किया गया है। जहाँ शिकायतों की ऑन लाइन ट्रैकिग भी संभव है • ऑपरेशन पाँच मिनट लांच किया गया। इसके तहत पाँच मिनट के अंदर अनारक्षित टिकट खरीद सकेंगे। इससे चेन्नई सब अरबन रेलवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच किया गया है। जहाँ यात्री अपने मोबाइल पर पेपरलेस अनारक्षित टिकट खरीद सकते हैं। • एक बार के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् किफायती ई-टिकट खरीदने हेतु नि: शक्त यात्रियों के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। • हिन्दी में ई-टिकटिंग पोर्टल लांच के लिए तैयार है। • ई-कैटरिंग (खान-पान) चालू कर दी गयी है। यह एक ऐसी सेवा है जहाँ कोई यात्री रास्ते में ट्रेन में एक फोन कॉल या एसएमएस के जरिए भोजन का आर्डर दे सकेंगे और भोजन उनके सीट पर सर्व किया जा सकेगा। फिलहाल यह सेवा 134 जोड़ी ट्रेनों में उपलब्ध है • रिटायरिग रूम की ऑन लाइन बुकिंग की जा रही है। • टीटीइ को हैंड-हेल्ड टर्मिनल की शुरुआत करने के लिए 73 जोड़ी ट्रेनों को चिह्नित किया गया। मई 2015 के अंत तक इसकी आपूर्ति प्राप्त करने की संभावना • यात्रियों के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने की पूर्व सूचना हेतु एसएमएस अलर्ट सेवा चालू • केन्द्रीकृत व्यवस्थित रेलवे डिस्पले नेटवर्क, तकनीकी प्रदर्शन के लिए तैयार • पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निगरानी कैमरे इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में लांच • कालका शताब्दी में ऑन बॉर्ड मनोरंजन शुरू, अन्य ट्रेनों में भी इसका विस्तार • सभी नये सामान्य श्रेणी के कोचों में मोबाइल चार्जिग प्वाइंट की सुविधा प्रदान करने के निर्देश 2015-16 में 3000 मौजूदा कोचों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा करायी जायेगी। • वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ का कोटा प्रति कोच 2 बढ़ कर 4 की गयी। **(साभार: प्रभात खबर, 9.5.2015)**

बढ़ीं रेल राज्यमंत्री की शक्तियां

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी अधिकतर शक्तियां रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा को सौंप दी है।

यह शक्तियां सौंपी : सूत्रों के मुताबिक 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के सिविल इंजीनियरिंग, एसएंडटी मैकेनिलु इलेक्ट्रिकल एंड आरई की क्षतिपूर्ति संबंधी फाइलें अब अनुमति के लिए सुरेश प्रभु के बजाय मनोज सिन्हा के पास जाएंगी। उन्हें रोलिंग स्टॉक, मशीनरी एवं प्लॉट कॉस्टिंग की 50 लाख से लेकर 50 करोड़ तक की अनुमति दी गई है। रेलवे में 50 लाख से 50 करोड़ तक के रेल डिब्बे, इंजन, मशीनरी खरीदने संबंधी मंजूरी भी रेल राज्य मंत्री देंगे। विभाग में पद रिक्त न होने पर हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड के अपग्रेडेशन भी अब सिन्हा के पास ही होंगे। यदि अधिकारी का प्रमोशन होने पर पद रिक्त नहीं है तो निचले पद पर ही उत्तम ग्रेड स्केल दे दिया जाएगा। इसके अलावा डीसीएम, डीओएम, डीएमई, डीईएम, डीईई, डीएफएम के तबादले संबंधी फाइलें भी अब रेल राज्यमंत्री को जाएंगी। इसके अलावा रेलमंत्री ने रेल बजट 2015-16 में जो घोषणाएं कर रखी हैं उनकी समीक्षा का अधिकार भी सौंपा गया है। यात्री व मालगाड़ी के समय को लेकर जवाबदेही, कर्मचारियों के इंसेंटिव, रेलवे में टिकट चेकिंग, ट्रेनों के संचालन, कर्मचारियों व अधिकारियों की शिकायतें, वेलफेयर योजनाएं, वेतन आयोग संबंधी केस, डीएंडएआर संबंधी केसों की फाइलें जो रेलमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को जाती हैं वे राज्यमंत्री के माध्यम से जाएंगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 18.5.2015)**

व्यापारियों ने कहा - ट्रैफिक और सुरक्षा सिस्टम दुरुस्त करे प्रशासन

मंडियों में सुरक्षा की कमी, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व ट्रैफिक पर कारोबारियों ने 14.5.2015 की शाम पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष खुल कर अपनी बातों को रखा, वहीं पुलिस पदाधिकारियों ने व्यापारियों को उनके सुझावों पर अमल करने का भरोसा दिया। मौका था पटना सिटी व्यापार मंडल की ओर से मच्छरहट्टा स्थित महाराज घाट मध्य विद्यालय में आयोजित पुलिस-व्यापारी जनसंवाद का।

पटना सिटी व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष देवकिशन राठी ने कहा कि मंडी की सबसे बड़ी समस्या जाम है। मेराजउद्दीन ने कहा कि आए दिन यह समस्या सामने आती है कि महात्मा गाँधी से उतर कर मंडी आने के क्रम में व्यापारियों का पॉकेट कट जाता है। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह यादव ने की, संचालन महासचिव अवधेश सिन्हा ने किया। राजेश राय, नवल किशारे राय नें अपनी समस्या रखी।

अपराधियों से डरें नहीं : डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय थाने व या आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खाजेकलां के थानाध्यक्ष तारकेश्वर तिवारी ने कहा कि मंडियों के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए, ताकि पूरे दिन की गतिविधियों पर निगरानी हो सके। **(साभार: दैनिक भास्कर, 15.5.2015)**

पीक आवर में भारी वाहनों को 'नो एंट्री'

पुलिस महानिदेशक ने दिया निर्देश

गांधी सेतु पर ट्रैफिक जाम से निजात के लिए समेकित कार्ययोजना बनायी गयी है। इस तमाम कार्ययोजना की जानकारी देते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक ने पटना व वैशाली के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, पटना ट्रैफिक एसपी, वैशाली व बेगूसराय एसपी को उक्त कार्ययोजना का अनुपालन कड़ाई से कराने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक ने इससे संबंधित पत्र तमाम संबंधित जिलाधिकारी व एसपी को ऐज दिया है।

ये बनायी गयी है कार्ययोजना

1. सेतु पर छोटे व बड़े सवारी वाहनों को छोड़ बड़े मालवाहक वाहनों ट्रक व ट्रैक्टर का परिचालन पीक आवर सुबह आठ बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक और शाम में चार बजे से दस बजे रात्रि तक बंद रखी जाये।
2. सेतु पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा यातायात नियंत्रण के लिए संबंधित थाना को यातायात नियंत्रण की तमाम शक्तियां दी जायेगी।
3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किये जाने से संबधित जानकारी की होर्डिंग से जागरूक किया जायेगा।
4. मीडियन प्वायंट चिह्नित किया जायेगा। यह मीडियन प्वाइंट ऐसे स्थानों पर चिह्नित किया जायेगा, जहाँ ट्रैफिक वन वे होती है। सेतु की मरम्मत को लेकर ट्रैफिक पर वन वे की स्थिति बदलती रह सकती है। मीडियन प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाइक व वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जायेगा। यह टीम ट्रैफिक जाम होने की स्थिति में बाइक से भ्रमण कर यातायात नियंत्रण का काम कर सकेंगे।
5. क्रेन की व्यवस्था प्रशिक्षित चालक के साथ सुनिश्चित हो।
6. सेतु के उत्तरी व दक्षिणी छोर पर प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगे।
7. सीसीटीवी का पैनल यातायात नियंत्रण कक्ष व वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बने बेरक के टीवी सेट से जुड़ेगा।
8. सेतु पर तैनात पदाधिकारियों व कर्मियों के बीच संवाद के लिए अलग फ्रिक्वेंशी का डेडीकेटेड चैनल आवंटित किया जायेगा।
9. पूरब से फतुहा व बख्तियारपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों का परिचालन दीदारगंज पुल के नजदीक पुलिस आउट पोस्ट के पास पीक आवर सुबह आठ बजे से 11 बजे तक और शाम में चार बजे से दस बजे रात्रि तक बंद रखा जायेगा। इसके लिए पुलिस चेक पोस्ट के पास ट्रैफिक वे बनाया जायेगा और उसमें भारी मालवाहक वाहनों का उक्त अवधि में पार्क करने की व्यवस्था की जायेगी।
10. महात्मा गांधी सेतु से हाजीपुर की ओर आने वाले वाहनों के पीक आवर में परिचालन को रोकने के लिए सोनपुर गंडक पुल के पहले, मुजफ्फरपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए वैशाली (हाजीपुर) पुलिस लाइन से पहले, महुआ की ओर आने वाले वाहनों के लिए महुआ रोड में, जंदाहा की ओर से आने वालों के लिए रामाशीष चौक से जंदाहा की ओर जाने वाले सड़क के किनारे अलग-अलग ट्रैफिक वे बनाया जायेगा। जिसमें बड़े मालवाहक वाहनों को पीक आवर में पार्क किया जा सकेगा। **(साभार: प्रभात खबर, 16.5.2015)**

बख्तियारपुर-खगड़िया एनएच नहीं होगा फोरलेन

एनएचएआई ने सिर्फ मेंटेनेंस करने का किया टेंडर

बख्तियारपुर-खगड़िया नेशनल हाईवे (एनएच-31) का फोरलेन निर्माण नहीं होगा। एनएचएआई ने सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए टेंडर किया है। 64 किमी लंबाई वाले इस हाइवे को 6 माह में मोटरेबुल (चलने लायक) कर दिया जाएगा। 15 मई को तय हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी मेंटेनेंस करेगी। इस पर 15.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल, यह हाईवे दो लेन चौड़ी है और खराब हालत में है। इसी हाईवे पर स्थित मोकामा के राजेन्द्र पुल की हालत भी काफी खराब है। भारी वाहनों के चलने पर रोक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह केन्द्र सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि इसकी शीघ्र मरम्मत की जाए।

मोकामा में नए फोरलेन महासेतु का भी निर्माण अटका : दरअसल, फोरलेन निर्माण नहीं होने से मोकामा में नए फोरलेन महसेतु का निर्माण भी फिलहाल अटक गया है।

फोरलेन परियोजना ऐसी थी

बख्तियारपुर-खगड़िया एनएच : • लंबाई : 113 किमी • राशि : 1635 करोड़ • एजेंसी : नवयुग इंजीनियरिंग

मेंटेनेंस परियोजना ऐसी है : • लंबाई : 64 किमी • राशि : 15.23 करोड़ • एजेंसी : 15 मई को तय होगी **(साभार : दैनिक भास्कर, 16.5.2015)**

रामकृष्ण नगर से बेउर तक हर दिन लगने वाले घंटों जाम से मिलेगी निजात

अगस्त के अंत तक एनएच-30 व सिपारा ओवरब्रिज चालू हो जाएंगे

तीन वर्षों से जाम झेल रहे एनएच-30 पर जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। सिपारा आरओबी और एनएच ओवरब्रिज अगस्त के अंत तक चालू हो जाएंगे। एनएचएआई ने इनके निर्माण की रफ्तार तेज कर दी है। सिपारा आरओबी को तैयार भी कर लिया गया है। इसे सिर्फ दोनों ओर एनएच से जोड़ना बाकी रह गया है। यह एक महीने में शुरू हो जाएगा। यहीं पर मीठापुर और उत्तर की ओर स्थित कॉलोनियों के लिए एनएच-30 पर बन रहे ओवरब्रिज के दोनों ओर 10 मीटर चौड़ा सर्विस लेन भी होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर सड़क की चौड़ाई 150 फीट होगी। एनएचएआई की तैयारी हर दिन के जाम को खत्म करने की है! एनएचएआई के अधिकारी बताते हैं कि पुल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आधे किलोमीटर के इस पुल के बनने से मीठापुर मोड़ व सिपारा से आने वाले लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। **(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 9.5.2015)**

न सर्विस लेन न फ्लाई ओवर, टोल वसूली शुरू

- **50 किलोमीटर है अनीसाबाद से बख्तियारपुर तक का टोल मार्ग**
- **908 करोड़ रुपए की लगत से हो रहा है निर्माण**

पटना बख्तियारपुर फोरलेन सड़क करीब पचास किलोमीटर लंबी है। पीपीपी मोड पर बनी इस सड़क पर टोल वसूली दो माह से चल रहा है। पटना बख्तियारपुर टोल वे लिमिटेड के हाथों में इसका संचालन है। फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नवादा, राँची की तरफ जाने वाली गड़ियां इसी सड़क से होकर गुजरती हैं।

हरेक व्यावसायिक और निजी वाहनों से इस सड़क से गुजरने का टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन इसके अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.5.2015)**

गाँधी सेतु के पास एक और पुल

केन्द्र सरकार बनवाएगी छह लेन का पुल, आंध्र की तर्ज पर सूबे को मिलेगा स्पेशल पैकेज

केन्द्र जल्द ही पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गाँधी सेतु की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसके पास ही एक नया छह लेन के पुल के निर्माण का तोहफा बिहार को देगा। लगभग 5000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लागत के इस पुल के निर्माण का पूरा बोझ केन्द्र सरकार उठाएगी और इसका निर्माण राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के तर्ज पर किया जाएगा। इसके अलावा भी बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत कुछ अन्य परियोजनाएं दी जाएंगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.5.2015)**

नदी जोड़ने को केन्द्र पर दबाव

बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू करने के लिए केन्द्र पर राज्य सरकार दबाव बढ़ाएगी। केन्द्रीय जल नीति पर नई दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी केन्द्र से इस संबंध में बात करेंगे।

बिहार सरकार ने 13 नदी जोड़ योजना को चिह्नित कर सात का डीपीआर तैयार करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनडब्ल्यूडीए) को जिम्मेदारी दी थी। इनमें से तीन योजनाओं का डीपीआर तैयार कर केन्द्र को सौंप भी दिया गया। शेष पर काम तेजी से जारी है।

इस योजना पर डीपीआर तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर शीघ्र काम शुरू करने के लिए केन्द्र को नोटिस दे चुका है। इसके बावजूद तकरीबन 8 हजार करोड़ से ज्यादा की इन परियोजनाओं पर काम नहीं शुरू किया जा सका है। इन योजनाओं से बिहार के 18 जिलों को बाढ़ और 10 जिलों को सूखे से बचाया जा सकता है।

जल संसाधन विभाग ने तीन नदी जोड़ परियोजना का डीपीआर केन्द्र सरकार को सौंपा है।

कई चरण में पूरी होगी परियोजनाएं

योजना- 1 : • **बूढ़ी गंडक** - नून बाया गंगा लिंक • **डीपीआर सौंपी गई :** 8 जनवरी 2014 • **कैनाल की लंबाई :** 28.95 किलोमीटर • **लागत :** 4213.8 करोड़ • **क्या होगा :** • बूढ़ी गंडक का पानी नून व वाया नदी के रास्ते गंगा में • **बाढ़ से निजात :** वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर को

योजना- 2 : • **कोसी**- मेची लिंक • **डीपीआर सौंपी गई :** 2 मई 2014 • **कैनाल की लंबाई :** 117.15 किमी • **लागत :** 2903.3 करोड़ • **क्या होगा :** कोसी नदी के पानी को महानंदा में मेची लिंक से लाया जाएगा • **सिंचाई सुविधा :** 229.400 हेक्टेयर • **किसे लाभ :** सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज व पूर्णिया जिले को।

योजना- 3 : • **सकरी** - नाटा नदी जोड़ योजना • **डीपीआर सौंपी गई :** 30 मई 2014 • **कैनाल की लंबाई :** लगभग 20 किमी • **लागत :** अभी 532.38 करोड़ • **क्या होगा :** सकरी और नाटा नदियों को लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा • **सिंचाई सुविधा :** नवादा, नालंदा और शेखपुरा।

राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केन्द्र : बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के बेतवा नदी परियोजना की तरह बिहार में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर केन्द्र सरकार शीघ्र अमल करे। तत्काल मंजूरी नहीं मिलने से परियोजना की लागत राशि बढ़ सकती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.5.2015)**

पटना-बक्सर एनएच के लिए मिले 68 करोड़

केन्द्र सरकार पटना-बक्सर फोरलेन सड़क (एनएच-84) की मरम्मत कराएगी। 142 किलोमीटर लंबी सड़क को ठीक कराने पर करीब 68 करोड़ खर्च किए जाएगे । जुलाई के बाद मरम्मत का काम प्रारंभ हो जाएगा। कोइलवर पुल को भी ठीक कराने के लिए केन्द्र ने 1.95 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पटना-बक्सर फोरलेन और रेलवे पुल की मरम्मत करेगा। पटना-बक्सर फोरलेन सड़क की जर्जर हालत को ठीक कराने के लिए फरवरी माह से प्रयास किए जा रहे है। एनएचएआइ ने भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को सड़क को ठीक कराने के लिए 70 करोड़ रुपये का मसौदा बनाकर भेजा था। स्वच्छता एवं पेयजल राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी लगातार कोशिश कर रहे थे। भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने फोरलेन की मरम्मत के लिए 68.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी।

रामकृपाल ने दूरभाष पर बताया कि एनएच-84 की मरम्मत के लिए स्वीकृत 68 करोड़ में से दानापुर से बिहटा तक के लिए 22 करोड़ रुपये निर्धारित है। इससे मनरेवासियों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.5.2015)**

ड्राइविंग लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड में दो-तीन माह और लगेंगे

ड्राइविंग लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड आपूर्ति में अभी दो-तीन माह और लगेगा। कार्ड आपूर्ति करनेवाली कंपनी का करार खत्म होने पर न तो उसे एक्सटेंशन दिया गया और न ही किसी दूसरी कंपनी को जिम्मा दिया गया। इससे पिछले तीन माह से राज्य में स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति बंद है। अब वाहन मालिक कार्ड के लिए परेशान हैं। परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड एजेंसी के लिए निविदा निकालने के लिए अधियाचना को बेलट्रॉन को पत्र लिखा है। बेल्ट्रॉन से सहमति मिलने के बाद कार्ड आपूर्ति के लिए नई कंपनी को आमंत्रित करने के लिए निविदा निकलेगी।

हैदराबाद की श्रीवेणु कंपनी 2008 से ही बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस व ऑनरबुक के लिए स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति कर रही थी। यह कंपनी हर वर्ष 10 लाख कार्ड की आपूर्ति करती थी। राज्य सरकार एक कार्ड के लिए कंपनी को 32 रुपए देती थी। 23 फरवरी 2015 तक आपूर्ति का करार था। विभाग ने इसके बाद इस कंपनी को आपूर्ति का आदेश नहीं दिया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.5.2015)**

मानवाधिकार आयोग में नई व्यवस्था, स्टेटस भी जान सकेंगे

ऑनलाइन दर्ज होगा केस

राज्य मानवाधिकार आयोग में अब ऑनलाइन मुकदमा दर्ज होगा। वादी घर बैठे अपनी शिकायत आयोग को भेज सकेंगे। आवेदन में आवेदन में आवेदक को अपना ई-मेल भी दर्ज करना होगा। घर बैठे ऑनलाइन रिसिविंग भी मिल जाएगी। केस के स्टेटस की जानकारी भी आयोग की साइट पर मिल जाएगी। राज्य मानाधिकार आयोग को 6 माह के अंदर कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा।

नीलमणि ने बताया कि कम्पयूटरीकृत होने के बाद आवेदन रिसीव करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भेजने के बाद आवेदक को ई-मेल से आवेदन रिसिविंग की जानकारी दी जाएगी। केस की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहेगी। अमुक केस की अगली सुनवाई कब होगी, केस सुनवाई किस बेंच में हो रही है, सुनवाई के दिन कौन-कौन सा पक्ष हाजिर था, कोर्ट ने किसी पक्ष को कोई नोटिस जारी किया या नहीं, इन सारे तथ्यों की जानकारी अब ऑनलाइन होगी। अगर किसी केस में कोई फैसला आएगा तो वादी व प्रतिवादी उस फैसले को नेट से निकाल कर देख सकेंगे। पटना हाईकोर्ट की तर्ज पर केस की नंबरिंग होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.5.2015)

बिहार में रिकॉर्ड बनाने की ओर दाल व तेल

पटना मार्च व अप्रैल में बेमौसम बारिश के कारण प्रदेश में इस बार दलहन व तिलहन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अरहर दाल के दाम दो महीने में 20-25 रुपए प्रति किलो बढ़ कर 110 रुपए तक पहुँच गए हैं। नियमों का हवाला देकर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा और आम आदमी की थाली से दाल गायब होने लगी है। चना, उड़द व मूंग दाल के रेट बढ़ चुके हैं।

• प्रदेश में हर दिन औसतन 25 सौ क्विंटल दाल की खपत • 2002-03 खत्म हो गई लाइसेंस की जरूरत, गैरकानूनी स्टोकिस्टों को मिला बल • 2009-10 में खाद्य सामग्री की स्टॉक होल्डिंग लाइसेंसिग प्रक्रिया एक साल के लिए शुरू की गई, एक भी स्टॉकिस्ट का नहीं हुआ पंजीकरण।

"दाम बाढ़ रहे हैं तो आम लोगों को समस्या हो रही है। सरकार और प्रशासन ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई करे, हम स्वागत करते हैं। चैम्बर ऐसे हर व्यावसायिक गतिविधि के विलाफ है जो गैरकानूनी है।"

– ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंण्डस्ट्रीज

(साभार: दैनिक भास्कर, 16.5.2015)

नर्सिंग होम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

बिहार सरकार ने राज्य में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लागू किया, 12 जिलों में प्राधिकार का गठन

• डीएम होंगे प्राधिकार के अध्यक्ष, लाइसेंस के बगैर चलने वाले नार्सिंग होम अवैध करार दिए जाएंगे

बिहार में नर्सिंग होम के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। लाइसेंस के बगैर चलने वाले नर्सिंग होम अवैध करार दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने राज्य में क्लीनिकल इक्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बारह जिलों में एक्ट के तरत प्राधिकार का गठन कर दिया है। अन्य जिलों में भी इसका गठन जल्द किया जाएगा।

कई राज्यों में लागू है एक्ट : हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में यह एक्ट बगैर किसी संशोधन के लागू है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ने अपना एक्ट बनाया है। कई अन्य राज्य इस पर काम कर रहे हैं।

एक्ट में प्राक्धान : एक्ट में कई प्रावधान हैं जिसके तहत नर्सिंग होग में आने वालों को सुविधाएं और सेवाएं देनी होंगी। वहाँ न्यूनतम कर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेखा-बही का भी हिसाब रखाना होगा। स्वास्स्थ्य विभाग के मुताबिक इसके लागू होने से लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही निजी नर्सिंग होम पर नियंत्रण भी होगा। लाइसेंस किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। बगैर लाइसेंस वाले नर्सिंग होम में काम करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंधन करने पर लाइसेंस रद्द होगा। यदि जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो वह राज्य स्तर पर गठित राज्य परिषद में अपील कर सकता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.5.2015)**

ई-कॉमर्स का लाभ उठाएं व्यापारी

संचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने छोटे शहरों के लिए बीपीओ (कॉल सेंटर) स्थापित नीति के तहत कुल 48,000 सीटों के कॉल सेटर स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है। प्रसाद ने देश में शुरू हुई डिजिटल क्रांति के मद्देनजर दूर-दराज के कारीगरों और छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स क्रांति का पूरा लाभ उठाने को सलाह भी दी है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैडर्ड, 16.5.2015)**

प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान 10 अरब डॉलर के 24 समझौते

इन 24 समझौतों पर बनी बात

• एजुकेशन एक्सचेंज प्रोगाम • माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में सहयोग • चीन के सहयोग से अहमदाबाद में महात्मा गाँधी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट का निर्माण • भारत के सहयोग से चीन में योग कॉलेज की स्थापना • अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग • चीन की कम्युनिष्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय का समझौता • चीन की सरकारी प्रसारण कंपनी सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच सहयोग • टूरिज्म सेक्टर में सहयोग • इंडिया-चाइना थिंक टैंक की स्थापना • भूकंप विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग • चीन के डेवलेपमेंट रिसर्च सेंटर और नीति आयोग के बीच सहयोग • समुद्र विज्ञान और क्लाइमेंट चेंज के क्षेत्र में सहयोग • चेंगडू और चेन्नई में खुलेंगे कौंसुलेट • ट्रेड निगोशिएशन के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के मद्देनजर कौंसुलेटिव मेकेनिज्म तैयार किया जाएगा • इम्पोर्ट सेक्टर में सेफ्टी रेग्युलेशन • भू-विज्ञान क्षेत्र में सहयोग • दोनों देशों के राज्यों और म्यूनिसिपैलिटीज के बीच सहयोग।

इंडो-चाइना लीडर्स फोरम की शुरूआत • सिस्टर सिटीज चेन्नई और चेंगडू के बीच • सिस्टर सिटीज हैदराबाद और क्विंगडाऊ के बीच • सिस्टर सिटीज औरंगाबाद और डनहंग में बनेगी • सिस्टर सिटीज कर्नाटक और सिचुआन के बीच • गांधीवादी अध्ययन के लिए सेंटर बनेगा • वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में सहयोग • रेलवे के क्षेत्र में सहयोग। **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 16.5.2015)**

पर्यावरण व वन भूमि की मंजूरी साथ-साथ

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (कुटकू डैम) के लिए पयार्वरण, वन भूमि व वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति की प्रक्रिया साथ-साथ चलेगी। दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर की अध्यक्षता में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी। बैठक में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस आशय का प्रस्ताव रखा था। श्री चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पहल नहीं करने की वजह से बिहार के लोगों को परेशानी हो रही है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 9.5.2015)**

सेवा कर की नई दरें 1 जून से लागू

सेवा कर की नई बढ़ी हुई 14 प्रतिशत की दर एक जून से लागू होगी। सरकार ने 19 मई 2015 को यह जानकारी दी। इस कदम से रेस्तरां जाना, बीमा और फोन बिल आदि महंगे हो जाएंगे।

फिलहाल सेवा कर की दर 12.36 प्रतिशत है। इसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सेवा कर की नई 14 प्रतिशत की दर एक जून से लागू होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के बजट में इसकी घोषणा की थी। अपने बजट भाषण में, जेटली ने कहा था कि केन्द्र व राज्यों की सेवाओं पर सेवा कर को सुगमता से लागू करने के लिए मौजूदा सेवा कर की 12.36 प्रतिशत की दर (शिक्षा उपकर सहित) को मिलाकर 14 प्रतिशत किया जा रहा है। सेवा कर एक छोटी नकारात्मक सूची के अलावा सभी सेवाओं पर लगाया लगाया जाता है। विज्ञापन, हवाई यात्रा, आर्किटेक्ट की सेवाएं, कुछ प्रकार के निर्माण, क्रेडिट कार्ड, कार्यक्रम प्रबंधन, टूर आपरेटर जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर सेवा कर लगता है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 20.5.2015)**

जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट

• 2 लाख होल्हिंग है पटना निगम क्षेत्र में • 50 करोड़ वसूली का लक्ष्य

इस वर्ष जून तक प्रॉपर्टी या होल्डिंग टैक्स जमा करनेवालों को पटना नगर निगम की ओर से पाँच प्रतिशत की छूट ही जाएगी। यह छूट कुल जमा होनेवाली राशि पर होगी। लोगों को यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दी जानेवाली होल्डिंग टैक्स पर मिलेगा। होल्डिंग टैक्स समय पर जमा करने और निगम की आय में बढ़ावा के लिए यह योजना बनाई गई है।

पिछले वर्ष ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स वसूली का काम देरी से शुरू होने के कारण लोगों को टैक्स जमा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इससे निगम की आय पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था नियम ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा था लेकिन सिर्फ 29 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई। इससे निगम अपने लक्ष्य से 21 करोड़ रुपए पीछे रह गया।

जून तक छूट, सितम्बर के बाद जुर्माना : निगम के उपनगर आयुक्त राजस्व राजीव रंजन ने बताया कि जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को निगत 5 प्रतिशत की छूट दे रहा है। जून के बाद के तीन महीने यानी सितम्बर तक जमा करने पर न तो छूट मिलेगी और न ही जुर्माना लगेगा। सितम्बर के बाद जमा करने पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 14. 5.2015)**

नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ चैम्बर के सदस्य जैन इन्टरनेशनल ने राहत सामग्री भेजी

चैम्बर सदस्य मेसर्स जैन इन्टरनेशनल ने 29 अप्रील, 2015 को नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की 42 कॉर्टन सामग्री इंडियन रेड क्रास सोसायटी को सौंपी जिसमें सीरिंज, कॉटन, प्लास्टर, सेवलॉन, सर्जिकल ड्रेसिंग, फेस मास्क, साबुन इत्यादि सम्मिलित हैं। चैम्बर की ओर से माननीय सदस्य को हार्दिक धन्यवाद।

बिहार में पान मसाला की बिक्री पर रोक जारी रहेगी

सूबे में तंबाकू, पान-मसाला, जर्दा व सुगंधित सुपारी की बिक्रीपर प्रतिबंध लगा रहेगा। पिछले वर्ष सात नवंबर को राज्य सरकार ने इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों ने पटना हाई कोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) दाखिल किया था। इस एसएलपी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। इस बेंच ने पटना हाईकोर्ट के अंतरिम रोक वाले फैसले पर रोक (स्टे) लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में फिर से तंबाकू, पान-मसाला, जर्दा व सुगंधित सुपारी पर प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.5.2015)

विकास योजनाओं की बाधाएं दूर करेगा वन विभाग

पर्यावरण एवं वन विभाग अब जन कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सहज और पारदर्शी बना रहा है। इसी उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट www.forest.bih.nic.in पर विभागों व एजेंसियों से मिलने वाले प्रस्तावों के स्वीकृति की स्थिति उपलब्ध कराई जा रही है। इससे यह पता चलेगा कि संबंधित प्रस्ताव की फाइल कहाँ है और उसमें क्या कार्रवाई की जानी है। जिलों से स्वीकृति के लिए प्रस्तावों को इस वेबसाइट पर पदाधिकारी अपलोड कर सकेंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 18.5.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296